झारखंड उच्च न्यायालय रांची में

आपराधिक विविध याचिका सं.3743/2023

तेजू मुंडा उर्फ तेजू कुमार मुंडा, पिता रोहित मुंडा, आयु लगभग 31 वर्ष, गाँव-बुधखुखरा, डाकघर.-गोसा, थाना रामगढ़, शहर और जिला-रामगढ़ याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य विरोधी पक्षः

याचिकाकर्ता के लिए श्री पीयुष कुमार रॉय, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री विनीत के. वशिष्ठ, विशेष लोक अभियोजक

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें रामगढ़ थाना केस नं. जी. आर. सं. 217/2023 के अनुरूप 203/2022, जिसमें 01.04.2023 दिनांकित आदेश भी शामिल है, जिसके तहत और जहां के तहत, हालांकि पुलिस ने याचिकाकर्ता को मुकदमे के लिए नहीं भेजा, लेकिन रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के कारण, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने गलती से उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता का नाम आरोप पत्र के 11कॉलम संख्या में दिखाई दे रहा है, और इसलिए, इस तरह की गलत धारणा के आधार पर देखा गया कि इस मामले में भी याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गलत है और याचिकाकर्ता + 2 हाई स्कूल, डिमरा, रामगढ़ में एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा है और जांच के दौरान, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता घटना के समय स्कूल में मौजूद था, और याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन का स्थान, + 2 हाई स्कूल, डिमरा, रामगढ़ में भी पाया गया और इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने घटना के समय अपने कार्यस्थल यानी + 2 हाई स्कूल, डिमरा, रामगढ़ में अपनी उपस्थिति का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने सबूतों के अभाव में याचिकाकर्ता को मुकदमे

के लिए नहीं भेजा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है, कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने बिना किसी विवेक के और रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ भी आगे बढ़ने का आदेश दिया है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि रामगढ़ थाना केस नं. 1 के संबंध में दिनांकित 01.04.2023 आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही। जी. आर. सं. 217/2023 के अनुरूप 203/2022 रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को अलग कर दिया जाए।

4. विद्वान विशेष.लोक अभियोजक रामगढ़ थाना केस नं. 1 के संबंध में दिनांकित 01.04.2023 आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध करता है। जी. आर. सं. 217/2023 के अनुरूप 203/2022 और प्रस्तुत करता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ को एक मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के साथ मतभेद करने की शक्ति निहित की गई है और जाहिर है, टंकण संबंधी त्रुटि के कारण, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने गलती से उल्लेख किया हैकि याचिकाकर्ता का नाम कॉलम संख्या में भी दिखाई दे रहा है। आरोप पत्र का '11', लेकिन यह तथ्य कि उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला किया है, यह दर्शाता है कि उसके खिलाफ भी आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए, भले ही, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं किया है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

5. बार में की गई दलीलों को सुनने के बाद, और अभिलेख में सामग्री को देखने के बाद, इस अदालत ने पाया कि यह सच है कि एक विद्वान मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र से अलग हो सकता है, लेकिन यदि विद्वान मजिस्ट्रेट, एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने का इरादा रखता है, जिसे मामले की उचित जांच के बाद पुलिस द्वारा मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया है, तो ऐसे विद्वान मजिस्ट्रेट को इसके लिए ठोस कारण का उल्लेख करना चाहिए, लेकिन इस मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा सौंपा गया एकमात्र कारण यह है कि उसका नाम कॉलम नं. आरोप पत्र का '11', जो एक तथ्य नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि है; क्योंकि उसका नाम आरोप पत्र के कॉलम संख्या 11' में नहीं दिखाई दे रहा है, चूंकि पुलिस ने मामले की जांच के दौरान याचिकाकर्ता को मुकदमे के लिए नहीं भेजा था, और पुलिस द्वारा सबूत एकत्र किए गए थे कि याचिकाकर्ता घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, बल्कि वह + 2 हाई स्कूल, डिमरा, रामगढ़ में मौजूद था, इसलिए, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि रामगढ़ थाना केस नं. जी. आर. सं. 217/2023 के अनुरूप 203/2022, जहां तक यह याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित है, कानून में टिकाऊ नहीं है और इसे जारी रखना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

6. तदनुसार, रामगढ़ थाना केस नं. 1 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ 01.04.2023 दिनांकित आदेश का हिस्सा। जहां तक यह याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित है, जी. आर. संख्या 217/2023 के अनुरूप 203/2022 को रद्द कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को दरकिनार कर दिया गया है।

7. तदनुसार, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 21 फरवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|